

चैम्बर भवन में केंद्रीय बजट 2023-24 पर परिचर्चा एमएसएमई उद्यमियों को मिलेगा लाभ



वैस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बजट को लेकर आयोजित संगोष्ठी में उद्यमियों ने बजट को विकासशील एवं संतुलित बताया। उद्यमियों ने चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा आयकर अधिवक्ताओं के साथ बजट पर विमर्श किया। बजट में आयकर व जीएसटी से संबंधित बदलावों के साथ एमएसएमई को मिलने वाली राहत पर चर्चा की। कहा कि बजट से एमएसएमई उद्यमियों को भुगतान के मामले में लाभ मिलेगा। अब खरीदार को भुगतान विलंब पर आयकर में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

संगोष्ठी की अध्यक्षता वैस्टर्न यूपी चैम्बर अध्यक्ष डॉ राम कुमार गुप्ता, संचालन सेक्रेटरी सरिता अग्रवाल ने किया। चेयरमैन सीए पीयूष अग्रवाल ने चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा आयकर अधिवक्ताओं के बीच विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। सीए आकाश जैन जी, अनुज गोयल जी, पवन मित्तल जी के साथ इनकम टैक्स बार एसोसिएशन पदाधिकारी मौजूद रहे। एमएसएमई को समय से भुगतान न करने पर या भुगतान रोकने पर बजट में बनाए कड़े नियमों को लेकर सीए व आयकर अधिवक्ताओं ने कहा कि नए नियमों में खरीदार को आयकर

में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एमएसएमई सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अभी तक एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या भुगतान न मिलने की थी।

आयकर में छूट और नए नियम पर चर्चा:

उद्यमियों ने आयकर छूट के बड़े दायरे, नई और पुरानी कर व्यवस्था पर चर्चा की। कहा कि पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। नई कर व्यवस्था में कर मुक्त आय पांच लाख से सात लाख कर दी गई है। टैक्स स्लैब में भी बड़ी राहत दी है। अपील के मामले में जॉइंट कमिश्नर अपील बनाया गया है, जिससे मामलो के लंबित रहने की समस्या का निदान होगा। ऑडिट की सीमा को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दी गई है, यदि पांच फीसदी से अधिक नकद में प्राप्ति नहीं है।

संगोष्ठी में इन उद्यमियों ने अपने विचार रखे:

बजट में नए प्रावधान और पुराने नियमों में बदलाव करने के साथ एमएसएमई सेक्टर के साथ उद्यमियों, व्यापारियों के लिए कई कदम उठाए हैं।

श्री गोपाल अग्रवाल, व्यापारी नेता

एमएसएमई को भुगतान के मामले में विलम्ब होता था। 45 दिनों के बाध्यता का पालन नहीं होता था, अब कड़े नियम बनने से खरीदार को एमएसएमई को भुगतान की तय सीमा में भुगतान करना होगा।

श्री गिरीश कुमार, उपाध्यक्ष मिडफो

आम बजट उद्यमियों, व्यापारियों के हित में है। धीरे-धीरे बजट के विभिन्न पहलू सामने आ रहे हैं, जो विस्तार से जानकारी के बाद पहली नजर में एमएसएमई के हित में ही दिखाई दे रहे हैं।

श्री एमएस जैन, उद्यमी

एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या भुगतान न मिलने की थी, इस कारण कार्यशील पूंजी की कमी हो जाती है। एमएसएमई को समय से भुगतान होगा तो उद्यमियों को सुविधा होगी, व्यापार भी बढ़ेगा।

श्री अजय गुप्ता, उद्यमी